क्रमांक एवं आदेश की तिथि १	अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज राजस्व विविध वाद सं० - 07/2007-08 जंगलू पहाड़िया - अपीलार्थी -बनाम- खगडू पहाड़िया - उत्तरवादी २	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
18-10-23	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा प्रधान बहाली वाद सं0 – 54/2006-07 में पारित आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त न्यायालय साहेबगंज में अपील दायर किया गया। विभिन्न तिथियों पर सुनवाई के उपरांत उक्त वाद सुनवाई हेतु दिनांक – 03.12.2007 को अपर उपायुक्त न्यायलय के अंतरित किया गया। विभिन्न तिथियों पर सुनवाई के उपरांत अधोहस्तक्षरी स्तर से वाद की सुनवाई दिनांक – 20.07.2022 से प्रारंभ की गई। – उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का ब्यान एवं अनुमंडल पदाधिकारी , साहेबगंज द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में संलग्न कागजात से निम्नलिखित तथ्य स्पस्ट होता है। विष्यांकित वाद मौजा देव पहाड़, अंचल बोरियो जिला साहेबगंज में प्रधान बहाली से संबंधित है। उक्त मौजा के पूर्व प्रधान मैसा पहाड़िया की मृत्यु 1971 में होने के उपरांत उनके एक मात्र पुत्र खगडू पहाड़िया (उत्तरवादी) द्वारा कार्यकारी प्रधान के रूप में कार्य किया जा रहा है। नियमतः पूर्व प्रधान की मृत्यु के उपरांत तीन महीने के अंदर उसकी सूचना उपायुक्त को मिलनी चाहिए थी परन्तु उत्तरवादी द्वारा पिता स्व0 मैसा पहाड़िया पूर्व प्रधान की मृत्यु के उपरांत कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य किया जा रहा है जिसपर मौजा के 16 आना जमाबंदी रैयतों की भी सहमति प्राप्त है तथा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी बोरियो के प्रतिवेदनुसार कर्यवाहक प्रधान (उत्तरवादी) समय पर लगान जमा करते है तथा 16 रैयतों की भी सहमति प्रात्त है। जिसके आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 6 के तहत् अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा प्रधानी पट्टा निर्गत किया गया है। वर्त्तमान में भी	

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2024.03.01 11:41:29 +05:30
Location: 192.168.0.117

Scanned with OKEN Scanner